प्रेस नोट दिनांक- 05.05.2025

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार-XI (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-1) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 16.04.2018 को धारा 411,412,414,419,420,467,468,471 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.निजाम चौधरी पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी ग्राम सतवड़ी थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थ नगर के विरुद्ध अपराध संख्या- 118/2018 धारा 411,412,414,419,420,467,468,471 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.05.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार-XI (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं0-1) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.निजाम चौधरी पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी ग्राम सतवड़ी थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थ नगर को 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆थाना सैयदराजा द्वारा दो टाटा मैजिक वाहन से कुल 04 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

श्री मोहित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु व तस्करी में संलिप्त गोतस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम मे अनंत चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश राय, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.05.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर NH2 हाइवे पर ग्राम परेवा के पास से सघन चेकिंग के दौरान दो टाटा मैजिक वाहन क्रमशः UP65MT9425 व UP65MT5157 से कुल 04 राशि गोवंश (गाय) को बरामद करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 100/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शहनवाज शाह पुत्र शहाबुद्दीन शाह निवासी ग्राम केवा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 20

2 मेवा लाल पुत्र रामलखन निवासी ग्राम रोहनिया थाना रोहनिया जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम परेवा के सामने

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 100/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम।

बरामदगी का विवरणः-

1.दो वाहन टाटा मैजिक क्रमशः UP 65 MT 9425 व UP 65 MT 5157

2.04 राशि गोवंश (गाय)

3.दो मोबाइल एन्ड्रायड वीवो कम्पनी

4.4100 नगदी रुपया

गिरफ्तारी व बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण–

1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 छोटे लाल राम थाना सैयदराजा चन्दौली।

3.हे0का0 रूपनारायन सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली

4.का0 रामबाबू राजभर सैयदराजा चन्दौली।

5.का0 विष्णुदत्त प्रजापतिथाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।